पाठ्यवस्तु का चयन
(Selection of Subject Matter)

पाठ्यवस्तु का चयन करते समय लगभग उन्हीं सिद्धान्तों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है जिनका उल्लेख हमने पाठ्यक्रम निर्धारण के सम्बन्ध में किया है। संक्षेप में हम पाठ्य-वस्तु के चयन में ध्यान रखने योग्य बातों का उल्लेख कर रहे हैं।

(1) **क्रिया का सिद्धान्त** (Principle of Activity)—शिक्षाशास्त्रियों का मत है कि शिक्षा के पाठ्यक्रम में 4 'एच' (H) को स्थान दिया जाना चाहिए—स्वास्थ्य (Health), हाथ (Hand), हृदय (Heart), और मस्तिष्क (Head)। इन सभी की शिक्षा बालकों को प्रदान की जानी चाहिए। प्रयोजनवादियों का कहना है कि पाठ्यक्रम के विषय में यह बात विशेष रूप से उचित प्रतीत होती है। पाठ्यक्रम इस प्रकार का होना चाहिए कि 'छात्रों को अपने मस्तिष्क और हाथ दोनों का प्रयोग करना पड़े।' 'करके सीखने' से बालक वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति करता है। जूनियर स्तर तक का पाठ्यक्रम तो मुख्य रूप से क्रिया प्रधान ही होना चाहिए। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर मस्तिष्क से सम्बन्धित पाठ्यक्रम पर अधिक बल देने की आवश्यकता है परन्तु साथ ही क्रिया की अवहेलना नहीं कर देनी चाहिए। बालकों को सामाजिक क्रियाओं के माध्यम से सामाजिक व्यवहार में परीक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।

(2) **विविधता का सिद्धान्त या सूचनाप्रद एवं वर्णनात्मक** (Informative and Descriptive)—नागरिकशास्त्र की पाठ्य-वस्तु के चयन में विविधता के सिद्धान्त को ध्यान में रखा जाना चाहिए। विभिन्न स्तरों की पाठ्य-वस्तु का चयन अलग किया जाना चाहिए। प्रारम्भिक स्तर की पाठ्य-वस्तु मुख्यतया सूचनाप्रद एवं वर्णनात्मक होनी चाहिए जिससे बालक अपने सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अभिरुचि ले सके। उच्च स्तर की पाठ्य-वस्तु को शनैः-शनैः आलोचनात्मक बनाया जाना चाहिए। चूंकि नागरिकशास्त्र के शिक्षण का उद्देश्य उत्तम नागरिकों का निर्माण है अतएव विषय का आलोचनात्मक ढंग से मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

(3) **औपचारिकता का सिद्धान्त** (Principle of Formality)—नागरिकशास्त्र के पाठ्यक्रम में उसी पाठ्य-वस्तु को रखा जाना चाहिए जिससे छात्रों में ऐसी

वाली सन्ततियों को उसे प्रदान कर सकें। परन्तु औपचारिकता के सिद्धान्त को उच्च स्तर के छात्रों के लिए नागरिकशास्त्र की पाठ्यवस्तु के चयन में ध्यान रखने की आवश्यकता है क्योंकि इस स्तर पर छात्रों की बुद्धि काफी परिपक्व हो चुकी होती है और वे पर्याप्त विचार-विमर्श एवं आलोचना कर सकते हैं। नागरिक समस्याओं का औपचारिक अध्ययन उसी समय उचित होगा जब कि छात्र जीवन के विभिन्न पक्षों के सम्बन्ध में कुछ अनुभव प्राप्त कर सकें।

(4) **चयन का सिद्धान्त** (Principle of Selectivity)—पाठ्यवस्तु के चयन में चयन के सिद्धान्त को ध्यान में रखा जाना चाहिए। सांस्कृतिक एवं सामाजिक जीवन के मुख्य तथ्यों को ही चुना जाना चाहिए। पाठ्यक्रम में ऐसे ही विषयों और सूचनाओं आदि को चुना जाना चाहिए जो सामाजिक जीवन की व्याख्या और स्पष्टीकरण करते हैं। चयन की आवश्यकता इसलिए भी है कि नागरिकशास्त्र का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है और यदि इस शास्त्र से सम्बन्धित सभी बातों का सभी स्तर के छात्रों के लिए रख दिया जायगा तो समस्त पाठ्यक्रम को समाप्त करना अत्यन्त कठिन हो जायगा। दूसरी बात यह है कि चयन की आवश्यकता इसलिए है कि हमारे समाज की संस्कृति जिसका निर्माण विभिन्न समुदाय और संस्थाओं ने किया है, अत्यन्त जटिल है। छात्रों को जब तक चुनी हुई बातों को नहीं बतलाया जायगा तब तक वे अपने समाज, समुदाय एवं संस्थाओं के बारे में कुछ भी नहीं समझ सकेंगे।

(5) **लोकतन्त्रीय सिद्धान्त** (Democratic Principle)—पाठ्यक्रम की सम्भ लोकतन्त्रीय जीवन की स्वीकृत मान्यताओं को प्रतिबिम्बित करना चाहिए और पाठ्यवस्तु का चयन इस प्रकार से होना चाहिए कि लोकतन्त्रीय समाज की स्थापना में सहायक प्राप्त हो। लोकतन्त्र, व्यक्तिवाद, समष्टिवाद, अनुदारवाद और प्रगति एवं शक्ति और स्वायत्तता का मार्ग निकालने का प्रयास करता है। इन बातों का नागरिकशास्त्र की पाठ्यवस्तु के चयन में ध्यान चाहिए।

(6) **लचीलेपन का सिद्धान्त** (Principle of Flexibility)—पाठ्यवस्तु के चयन में लचीलेपन के सिद्धान्त को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। मानव-जीवन में निरन्तर परिवर्तन होते रहते हैं। नागरिकशास्त्र की पाठ्यवस्तु इस प्रकार की होनी चाहिए कि वह इन परिवर्तनों के अनुसार अपने को ढाल ले। यदि पाठ्यक्रम कठोर होगा तो समय के साथ मेल न खाएगा। यदि नागरिकशास्त्र के पाठ्यक्रम में नवीन अनुभवों के लिए स्थान नहीं होगा तो शिक्षा के उद्देश्य की ही प्राप्ति न हो पाएगी। फलस्वरूप पाठ्यक्रम में लचीलापन होना चाहिए।

(7) **उपयोगिता का सिद्धान्त** (Principle of Utility)—नागरिकशास्त्र की पाठ्यवस्तु के चयन में उपयोगिता को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। उन्हीं तथ्यों का चयन किया जाना चाहिए जो उपयोगी हों। यदि पाठ्यक्रम में अनेक तथ्यों की भरमार कर दी जाती है तो छात्र की अभिरुचि उसमें नहीं रहती। अतएव पाठ्यवस्तु के चयन में उपयोगिता को ध्यान में रखना आवश्यक है।

(8) **रुचि का सिद्धान्त** (Principle of Interest)—नागरिकशास्त्र की पाठ्यवस्तु के चयन में छात्रों की रुचि भी ध्यान हैं रखना आवश्यक है। उन्हीं तथ्यों का चयन किया जाना चाहिए जो उन की रुचियों एवं वृत्तियों के अनुकूल हों। पाठ्यक्रम बाल-केन्द्रित होना चाहिए और रोचक विषयों को ही उसमें स्थान दिया

जाना चाहिए। यदि पाठ्यवस्तु रुचिकर नहीं होती तो छात्र कुछ भी लाभ नहीं उठा पाते।

(9) **निकटवर्ती एवं केन्द्रीय विकास का सिद्धान्त** (Principle of Nearness and Concentric Grrowth)—इस सिद्धान्त को पाठ्यवस्तु के चयन में ध्यान में रखने की आवश्यकता है। पहले उन तथ्यों को ध्यान में रखना चाहिए जो छात्रों के समीपवर्ती हैं। फिर क्रमशः उनसे दूर के तथ्यों को स्थान दिया जाना चाहिए। जैसे कि एक केन्द्र के विभिन्न अर्धव्यासों के द्वारा खींचे गये वृत्तों में क्षेत्र का ही अन्तर होता है उसी प्रकार नागरिकशास्त्र की पाठ्य सामग्री का चयन करते समय बालक को केन्द्र मानकर विभिन्न विषयों की सूची बनाई जानी चाहिए। उदाहरण के लिए बालक को सबसे पहले परिवार के विषय में बताया जाना चाहिए जिसके कि वह अत्यधिक समीप हो और जिसमें वह सदैव रहता है। फिर क्रमशः पड़ोस, ग्राम, नगर, जिला और विश्व में बताया जाना चाहिए। यदि छात्रों को नागरिकशास्त्र में पहले राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के विषय में बतलाया जाता है और तत्पश्चात् उन्हें ग्राम, पड़ोस आदि की शिक्षा दी जाती है तो बालक को ठीक से समझ नहीं सकते।